अंचल कार्यालय कोडरमा

अतिक्रमण वाद अभिलेख संख्या– ......22....../2016–17

25.04.2017 पणन सचिव, कृषि उत्पादन बाजार समिति, कोडरमा के पत्रांक 65 दिनांक 20.02.2017 के द्वारा मुख्य बाजार प्रांगण, झुमरी तिलैया बाजार क्षेत्र के जमीन को अतिक्रमणकर्त्ता की सूची संलग्न कर भेजते हुए, अतिक्रमण से मुक्त कराने हेतु अनुरोध किया गया है। उक्त सूची के अनुसार श्री सरयु ठाकुर के द्वारा मुख्य बाजार प्रांगण, झुमरी तिलैया बाजार क्षेत्र के जमीन को अतिक्रमित कर सैलून–दुकान खोला गया है। राजस्व कर्मचारी/अंचल निरीक्षक से जांच प्रतिवेदन की मांग करें।

अतः अतिक्रमणकर्त्ता को बिहार/झारखण्ड भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 की धारा 03 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत करें कि क्यों नहीं उनके विरूद्ध अतिक्रमण हटाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए।

अभिलेख दिनांक ....18..../....04..../2017 को उपस्थापित करें।

25/04/17

अंचल अधिकारी, कोडरमा
–सह–
समाहर्त्ता भूमि अतिक्रमण

18.04.2017 अभिलेख उपस्थित।

नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है, जो अभिलेख के साथ संलग्न है। अतिक्रमणकर्त्ता के द्वारा अपने दावे के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। राजस्व कर्मचारी/अंचल अमीन/अंचल निरीक्षक का जांच प्रतिवेदन प्राप्त है, जो अभिलेख में संलग्न है। मापी तथा जांच के उपरांत उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि श्री सरयु ठाकुर के द्वारा सैलून दुकान कर बाजार समिति झुमरी तिलैया की भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। अतिक्रमणकर्त्ता श्री सरयु ठाकुर के द्वारा मुख्य बाजार प्रांगण, झुमरी तिलैया बाजार क्षेत्र की भूमि पर बिहार/झारखण्ड भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 की धारा 02 की उपधारा 03 के अनुसार लोक भूमि परिभाषित है, इसलिए उक्त अधिनियम की धारा 06 उपधारा 01 के अधीन उक्त भूमि पर से अतिक्रमण हटाने का आदेश पारित किया जाता है एवं आदेश दिया जाता है कि दिनांक ...22.../...04.../2017 तक उक्त भूमि खाली कर अधोहस्ताक्षरी को सूचित करें।

18/04/17

अंचल अधिकारी, कोडरमा
–सह–
समाहर्त्ता भूमि अतिक्रमण

Scanned with CamScanner